**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग**

**राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3368**

**26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए**

**वैज्ञानिकों द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को छोड़कर जाना**

**3368. श्री हर्षवर्धन सिंह डुंगरपुर:**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), जोकि सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक हथियार बनाता है, कुछ समय से वैज्ञानिकों द्वारा संगठन छोड़कर जाने की समस्या से जूझ रहा है;

(ख) यदि हां, तो 2014 और 2017 के बीच डीआरडीओ से इस्तीफा देने वाले वैज्ञानिकों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा वैज्ञानिकों के संगठन छोड़कर जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठा रही है?

**उत्तर   
रक्षा मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

(क): जी, नहीं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) वैज्ञानिकों द्वारा संगठन को छोड़कर जाने की समस्या का सामना नहीं कर रहा है। तथापि, कुछ वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत आधार पर इस्तीफा दिया है।

(ख): वर्ष 2014-17 की अवधि के दौरान डीआरडीओ से इस्तीफा देने वाले वैज्ञानिकों की संख्या निम्नानुसार है:-

..2/-

- 2 –

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | इस्तीफा | | टिप्पणी |
|  | संख्या | प्रतिशत  (अनुमानित) |  |
| 2014 | 41 | 0.55 | व्यक्तिगत कारणों से |
| 2015 | 42 | 0.56 |
| 2016 | 45 | 0.60 |
| 2017 | 37 | 0.50 |
| **कुल** | **165** | 0.55  (औसत प्रति वर्ष) |  |

(ग): डीआरडीओ में वैज्ञानिकों के संगठन छोड़कर जाने या पलायन करने की ध्यान देने योग्य सूचना नहीं है। तथापि, युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनका ब्यौरा परिशिष्ट 'क' के रूप में संलग्न है।

...3/-

- 3 -

**वैज्ञानिकों द्वारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को छोड़कर जाने के बारे में राज्य सभा में दिनांक 26 मार्च, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 3368 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित परिशिष्ट**

**डीआरडीओ में वैज्ञानिकों के लिए प्रोत्साहन स्कीम**

**1. वित्तीय प्रोत्साहन :**

* **अतिरिक्त वेतन वृद्धि** : वैज्ञानिकों ग,घ,ड. और च को दो अतिरिक्त वेतन वृद्धियां दी जाती हैं।
* **वृत्ति का अद्यतन भत्ता** : अद्यतन भत्ते के रूप में वृत्ति को वैज्ञानिक 'ख' 'ग' और 'घ' को 22,500 रुपये प्रति वर्ष ; वैज्ञानिक 'ड.' और 'च' को 45,000 रुपये प्रतिवर्ष ; और वैज्ञानिक 'छ' एवं उससे ऊपर के वैज्ञानिकों को 67,500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है।
* **अनिवार्य वेतन वृद्धि**: प्रोन्नति के मेरिट के आधार पर सुगम्य पूरक स्कीम (एफसीएस) के अंतर्गत पात्र वैज्ञानिकों को अधिकतम छह वेतन वृद्धियां दी जाती हैं।

**II. विकास संबंधी प्रोत्साहन :**

डीआरडीओ में वैज्ञानिकों को विकास और प्रोन्नति के बेहतर अवसर देने के लिए मेरिट आधारित एफसीएस विद्यमान है जहां प्रोन्नतियां आकलन के आधार पर होती हैं न कि उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर । एफसीएस के अंतर्गत समूह 'क' के निम्नतम पद में वैज्ञानिक 'ख' के स्तर पर भर्ती हुआ वैज्ञानिक उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी स्केल) लेवल 15 में वैज्ञानिक 'ज' के स्तर तक पहुंच सकता है और इसके पश्चात वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर, उपलब्धि योग्य लेवल 16 एचएजी+स्केल) में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के स्तर तक पहुंच सकता है।

**III. प्रस्तावित प्रोत्साहन :**

जहां तक निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन स्कीम (पीआरआईएस) का संबंध है, यह कहा जा सकता है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग में डीआरडीओ के लिए निष्पादन संबंधी प्रोत्साहन स्कीम की सिफारिश नहीं की गई है। यद्यपि अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग में यह लागू है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों हेतु पीआरआईएस शुरू करने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा जा रहा है।

**IV. योग्यता/कौशल विकास :**

डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को अनुसंधान एवं प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत सरकारी खर्चे पर एम.ई/एम.टेक कार्यक्रमों के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रायोजित किया जा रहा है ताकि वे अपने ज्ञान और कौशल का उन्नयन कर सकें। इसके अलावा, वैज्ञानिकों को उनके संबंधित क्षेत्र में पीएचडी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

**\*\*\***